राजस्थान सरकार

न्यायालय उप जिला कलक्टर सैंपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– ललित मीना (आर0 ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 26/2021

1–कुशुम पत्नी राजेश 2–वैशाली पत्नी धुवनारायन जातिगण वैश्य निवासीगण ग्राम सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

..................प्रार्थीगण

बनाम

1–तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

............अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत तरमीम दुरस्ती किये जाने बाबत्।

उपस्थिति– 1–श्री हरिवीरसिंह एडवोकेट– प्रार्थीगण

निर्णय **दिनांकः 10.11.2022**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते तरमीम दुरस्ती किये जाने बाबत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खाता संख्या 33 के खसरा नम्बर 2978/2114 रकवा 0.5258 वाकेग्राम तसीमों तहसील व जिला धौलपुर एवं खाता संख्या 34 का खसरा नम्बर 2981/2114 रकवा 0.2150 वाकेग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर की तरमीम विवादग्रस्त है। विवादग्रस्त खसरा नम्बर की प्रार्थीयान खातेदार काश्तकार है और इसी अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रही है। प्रार्थीयान का खसरा नम्बर 2978/2114 रकवा 0.5058 वाकेग्राम तसीमों राष्ट्रीय राजमार्ग से लगा हुआ है। जिसका फ्रन्ट करीब 210 फुट है और इसी अनुसार मौके पर काबिज है। नक्शा ऑनलाईन करते समय पुराने नक्शे के आधार पर नया नक्शा तहसीलदार सैपऊ द्वारा तैयार कराया गया जिसमें पुराने नक्शे की अपेक्षा नये नक्शे में काफी अन्तर कर दिया गया है। मुताबिक पुराना नक्शा प्रार्थीयान मौके पर काबिज है नया नक्शा गलत बना दिया गया है दोनों नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थीयान ऑनलॉईन नक्शे से पूर्व के नक्शे के मुताबिक अपनी तरमीम को दुरस्त कराना चाहती है जिससे कोई विवाद पैदा ना हो अगर नक्शा दुरस्ती नहीं किया गया तो प्रार्थीयान को भारी हानि होगी तथा मौके पर पड़ौसी काश्तकार से झगड़ा करने में समर्थ नहीं है। दोनों नक्शों को एक–दूसरे पर रखने से ही पता चल जाता है कि जो वर्तमान नक्शा बनाया गया है वह पूर्व के नक्शे से भिन्न है जिसका नक्शा बनाने वालों को कोई अधिकार नहीं है पूर्व के नक्शे से भिन्न नक्शा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के नहीं बनाया जा सकता है अगर ऐसा हो भी गया तो वह काबिल दुरस्ती है। प्रार्थीयान अपने खसरा नम्बरान का भूमि रूपान्तरण कराना चाहती है जिसके लिये प्रार्थीयान ने वर्तमान नक्शे की नकल पटवारी हल्का से प्राप्त की तथा पूर्व के नक्शे की

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

नकल भी प्राप्त की तब पता चला कि नया नक्शा पूर्व के नक्शा से भिन्न है पता चलते ही प्रार्थीयान नक्शा में दुरस्ती हेतु न्यायालय श्रीमान में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त खसरा नम्बर के नक्शा अक्स में पूर्व के नक्शे के मुताबिक दुरस्ती किये जाने के आदेश किये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर जबाब तहसीलदार सैपऊ से तलब किया गया। तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने पत्र क्रमांकःराजस्व/2022/473 दिनांक 11.07.2022 द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया।

हमने विद्वान प्रार्थीगण अभिभाषक एवं तहसीलदार सैपऊ की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार ऑनलाईन से पूर्व के नक्शे एवं वर्तमान नक्शे में अन्तर है। तहसीलदार सैपऊ की रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 2978/2114 एवं 2981/2114 वाकेग्राम तसीमों प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी हक में दर्ज रिकॉर्ड है जिसकी तरमीम पुराने नक्शा लट्ठा अनुसार ऑनलाईन नक्शा शीट में नहीं हुई है। खसरा नम्बर 2978/2114 रकवा 0.5058 हैक्टेयर भूमि एन.एच.123 से लगी हुई है। फ्रन्ट नक्शा तरमीम तितम्मा उचित है स्वीकार किया गया। अतः प्रार्थीगण द्वारा तरमीम दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सैपऊ आराजी खसरा नम्बर 2978/2114 रकवा 0.5258 हैक्टेयर वाकेग्राम तसीमों एवं खाता संख्या 34 के खसरा नम्बर 2981/2114 रकवा 0.2150 हैक्टेयर वाकेग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर के नक्शा अक्स में वर्तमान में हुई गलत तरमीम को प्रस्तावित ऑनलाईन से पूर्व के नक्शे अनुसार दुरस्त किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक **10.11.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(ललित मीना)
उप जिला कलक्टर
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ